[2021] 8 एस. सी. आर 772

एम. एच. डी. रजा और ए. एन. आर.

वी.

गीता @गीता देवी

(2021 की सिविल अपील संख्या 6098)

04 अक्टूबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: Or.XII r. 6 - प्रवेश पर आदेश प्रतिवादी-वादी ने कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया,

प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा संपत्ति के संबंध में अनिवार्य/स्थायी निषेधाज्ञा और मेसन लाभ-अपीलार्थी जो खुद को होने का दावा करते हैं

वाद संपत्ति का स्वामी और यह दावा करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 किरायेदार था और प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में वाद संपत्ति/परिसर को उप-भत्ते पर देता है-लिखित बयान में, प्रतिवादियों का मामला यह था कि वे 'अब' वादी के किरायेदार नहीं थे, बल्कि वाद संपत्ति के वास्तविक मालिक थे-इसमें आगे कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या। 2 वादी से वाद संपत्ति खरीदी थी और वादी के खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा निचली अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था-प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दायर किए जाने के बाद, वादी ने Or.XII r के तहत प्रवेश पर डिक्री पारित करने के लिए निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया। 6 सी. पी. सी.-ट्रायल कोर्ट ने यह मानते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी नं। 2 वादी के स्वामित्व और वाद संपत्ति में उनकी किरायेदारी के बारे में कोई स्वीकार नहीं किया-हालांकि, उच्च न्यायालय ने संशोधन की अनुमति दी

याचिका दायर की और प्रतिवादियों के खिलाफ बेदखली के लिए आदेश पारित किया अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः लिखित बयान में, प्रतिवादियों द्वारा विशेष रूप से कहा गया था कि वे 'अब' वादी के किरायेदार नहीं थे, बल्कि मुकदमे की संपत्ति के वास्तविक मालिक थे-यह विवाद में नहीं है और यहां तक कि यह प्रतिवादियों का मामला भी था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने मुकदमे की संपत्ति के संबंध में वादी के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया था-इसलिए, इस स्तर पर, प्रतिवादी संख्या 2 को मालिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उसका मुकदमा तब तक लंबित था जब तक कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री न हो। निष्पादन उसके पक्ष में पारित किया जाता है और/या बिक्री विलेख इस तरह के एक डिक्री के अनुसार निष्पादित किया जाता है, उसे इसका मालिक नहीं कहा जा सकता है

वाद संपत्ति और वादी मालिक बना हुआ है और प्रतिवादी संख्या 1 किरायेदार बना हुआ है-इसलिए, उपरोक्त के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से प्रवेश के रूप में उचित रूप से माना जाता है

वादी का स्वामित्व और प्रतिवादी संख्या 1 की किरायेदारी-उच्च न्यायालय ने प्रवेश पर डिक्री को सही ढंग से पारित किया है-हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी। 2 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः जब तक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सूट तय नहीं किया जाता है

प्रतिवादियों के पक्ष में, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2, उसे मालिक नहीं कहा जा सकता है और इसलिए वादी प्रतिवादी मालिक बना हुआ है और प्रतिवादी संख्या 1 किरायेदार बना हुआ है। इसलिए, उपरोक्त को वादी के स्वामित्व के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से एक प्रवेश के रूप में उचित रूप से माना जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 एक किरायेदार है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर डिक्री को सही ढंग से पारित किया है जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में गलत नहीं कहा जा सकता है। तथापि, उसी समय, जब प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के विरुद्ध विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मूल वाद दायर किया गया हो।

निष्पादन लंबित है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हमेशा वादी के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर उक्त मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी और यदि अंततः वह मुकदमे में सफल हो जाती है, और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री पारित की जाती है और ट्रायल कोर्ट कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है (यदि अनुरोध किया जाता है), तो आवश्यक परिणाम सामने आएंगे और वादी, विषय के अधीन होगा। अपील दायर करने के लिए, उस डिक्री का पालन करना होगा जो विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में पारित की जा सकती है। [पारस 8,9] [778-एफ-एच; 779-ए-बी]

हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड (2011) 15 एससीसी 273

: [2011] 7 एस. सी. आर. 60-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 7 एससीआर 60

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6098

2021

उच्च न्यायालय के 14.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की सिविल संशोधन याचिका No.175 और 2019 के सी. एम. आवेदन No.35781 में नई दिल्ली में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सनोबर अली, अनुराग रावत, इरशाद अहमद, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

हर्ष कुमार, सुश्री शिखा गोगोई, सुश्री अंजू के वर्की, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 14.11.2019 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

दिल्ली ने 2019 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 175 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को रद्द करके उक्त सिविल पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी है और इसके परिणामस्वरूप सी. पी. सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत प्रवेश पर बेदखली का आदेश पारित किया है, मूल प्रतिवादियों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

मंडावली, दिल्ली (इसके बाद सूट संपत्ति के रूप में संदर्भित)। शिकायत में यह कहा गया था कि वह मुकदमे की संपत्ति की वैध मालिक है क्योंकि 15.01.2013 और प्रतिवादी संख्या 1 किरायेदार है। दिनांक 14.03.2016, जिसने वादी को किसी भी पूर्व सूचना के बिना प्रतिवादी संख्या 2 को अवैध रूप से संपत्ति का उप-पट्टा दिया और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 की किरायेदारी को वादी द्वारा रद्द/समाप्त कर दिया गया है।

17.07.2018 . इस प्रकार वादी ने स्वामित्व का दावा किया और दावा किया कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 किरायेदार है।

2.2 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादियों ने लिखित बयान दायर किया (उसी की सामग्री पर नीचे चर्चा की जाएगी)। की ओर से दायर लिखित बयान के बाद

प्रतिवादी, वादी ने सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर एक डिक्री पारित करने के लिए विद्वत ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि लिखित बयान में प्रतिवादियों ने स्वीकार किया है कि वादी मालिक है और प्रतिवादी संख्या 1 मुकदमे की संपत्ति का किरायेदार है। अभियुक्तों की ओर से उक्त आवेदन का विरोध किया गया था।

एमओएचडी की ओर से सीपीसी के आदेश बारहवें नियम 6 के तहत एक विस्तृत जवाब दायर किया गया था।

अभियुक्तों को। कि इसके बाद विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वामित्व के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति नहीं की थी।

वादी और वाद संपत्ति में उनकी किरायेदारी।

3. विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 27.07.2019 द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, आवेदन को खारिज करते हुए

सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 और प्रवेश पर डिक्री पारित करने से इनकार करते हुए, वादी-प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया है और सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत आवेदन को खारिज करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ बेदखली के लिए एक डिक्री पारित की है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि लिखित बयान में, प्रतिवादियों-अपीलार्थियों की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि प्रतिवादी संख्या 2 मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक है और उसने कुल राशि का भुगतान किया है। Rs.19 वादी को लाख और इसलिए वह एक मालिक के रूप में मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश बारहवें नियम 6 के तहत प्रवेश पर एक डिक्री पारित करने में भौतिक रूप से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने और उस पर विचार करने में विफल रहा है कि प्रतिवादियों की ओर से कोई स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं थी कि वादी मालिक है और प्रतिबादी / प्रतिवादी संख्या 1 किरायेदार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए किसी भी स्पष्ट और स्पष्ट स्वीकार के अभाव में, वादी प्रवेश पर डिक्री का हकदार नहीं होगा। रिलायंस को हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। टाटा स्टील लिमिटेड ने (2011) 15 एस. सी. सी. 273 में सूचना दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.1 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अपीलार्थियों की ओर से कि न केवल कोई विशिष्ट प्रवेश नहीं हैं प्रतिवादियों की ओर से कि वादी वाद संपत्ति की मालिक है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि वह वादी द्वारा निष्पादित किए गए समझौते के अनुसार वाद संपत्ति की पूर्ण मालिक है और प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को Rs.19 लाख की राशि का भुगतान किया है और इसलिए वह वाद के कब्जे में है।

एक मालिक के रूप में संपत्ति।

5.2 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किया गया मूल मुकदमा

बेचने का अनुबंध विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है और यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में एक निषेधाज्ञा-उस मुकदमे में वादी।

6. प्रतिवादी-मूल वादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री हर्ष कुमार ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और

लिखित कथन के कथनों पर विचार करते हुए, यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादियों की ओर से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वादी मालिक है। उन्होंने हमें प्रतिवादियों-अपीलार्थियों की ओर से दायर लिखित बयान में प्रासंगिक कथनों पर ले जाया है।

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रतिवादी की ओर से विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से मामला है कि वह मुकदमे की मालिक है।

संपत्ति, इसलिए वह एक मालिक के रूप में सूट संपत्ति के कब्जे में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी नं। 2 आधार पर स्वामित्व का दावा कर रहा है

बेचने के लिए समझौता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बेचने का समझौता स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। एक व्यक्ति जिसके पक्ष में बेचने का समझौता निष्पादित किया जाता है, वह मालिक बन जाता है या तो निष्पादक द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख के अनुसार और/या अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री पारित की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के मामले के अनुसार भी विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा लंबित है।

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि समग्र रूप से लिखित कथन पर विचार किया जाता है, तो उस मामले में प्रतिवादियों की ओर से यह स्वीकार किया जाता है कि वादी मालिक है और यहां तक कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किरायेदारी भी स्वीकार की गई है। हालाँकि, यह मामले की ओर से है

प्रतिवादी संख्या 2 कि वह मालिक है और एक मालिक के रूप में वह कब्जे में है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर एक डिक्री पारित की है।

एम. एच. डी. रजा और ए. एन. आर. वी. गीता @गीता देवी [एम. आर. शाह, जे.]

7. हमने विद्वान वकील को उनकी ओर से उपस्थित होते हुए सुना है

लंबे समय तक पार्टियों का आयोजन करें।

एनजी No.246/4, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट स्कूल ब्लॉक, मंडावली, दिल्ली सेंट प्रतिवादी-यहाँ अपीलकर्ता, जो संपत्ति छोड़ने का मालिक होने का दावा करते हैं और दावा करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 किरायेदार है औरदांत नं. 1 में दांत नं. 2 के पक्ष में वाद संपत्ति/परिसर को उप-पट्टा दिया गया है। लिखित बयान में, प्रतिवादी-अपीलार्थियों की ओर से यह मामला था कि प्रतिवादी 'अब' वादी के नहीं हैं, बल्कि मुकदमे की संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं। ग्राफ 1 से 3 में, लिखित कथन में इसे निम्नानुसार बताया गया हैः

मामले की सामग्री और सही तथ्यों को छिपाते हुए और वादी जवाब देने वाले प्रतिवादियों को परेशान करना चाहता है और वर्तमान मुकदमा दायर करके जवाब देने वाले प्रतिवादियों के वास्तविक धन को हड़पना चाहता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी का मुकदमा कानून की नजर में बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि यह मामला कब्जे, अनिवार्य निषेधाज्ञा, स्थायी निषेधाज्ञा और अपने लाभ के लिए मुकदमा नहीं है। पक्षों के बीच लेकिन यह स्वामित्व, धोखाधड़ी का मामला है

और रुपये हड़प लिए। 19 लाखों का जवाब

प्रतिवादी और यह पक्षों के बीच समझौते के अनुपालन का मामला है जिसे वादी द्वारा 29.01.2017 पर निष्पादित किया जाता है इसलिए वादी का मुकदमा लागत के साथ खारिज किया जा सकता है। 3. कि यह प्रस्तुत किया जाता है कि वाद संपत्ति पूरी तरह से प्रतिवादियों से संबंधित है। प्रतिवादी नं. 2 / सीमा बेगम मुक़दमे की संपत्ति की पूर्ण मालिक हैं और मुक़दमे की संपत्ति में उनका पूरा अधिकार या हित है। उसने सूट संपत्ति और सूट संपत्ति के अन्य हिस्से (माप क्षेत्र 30 [2021] 8 एस. सी. आर.) को खरीदा है।

स्क्वायर। यार्ड और 50 वर्ग मीटर। यार्ड) और प्रतिवादियों ने ले लिया था

वादी से वाद संपत्ति के दोनों भाग पर शांतिपूर्ण कब्जा। प्रतिवादी नं. 2 विशिष्ट के लिए एक मामला/मुकदमा भी दायर किया है

वादी के खिलाफ अनुबंध, घोषणा, बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा का प्रदर्शन जो श्री के माननीय न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। सनातन प्रसाद, एल. एडीजे, पूर्व,

केकेडी अदालतें, दिल्ली "

इस प्रकार उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। प्रतिवादी नं. 2 होने का दावा करता है

एक मालिक के रूप में कब्जे में और मालिक होने का दावा करते हुए। यह भी देखा जा सकता है कि वादी ने मालिक के रूप में मुकदमा दायर किया है। यह विवाद में नहीं है और यहां तक कि यह प्रतिवादियों की ओर से मामला है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया था।

मुक़दमे की संपत्ति के संबंध में, जिसका अर्थ है कि एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि वादी मालिक है।

9. इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 को मालिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उसका मुकदमा अभी तक नहीं किया गया है।

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। जब तक और जब तक उसके पक्ष में कोई डिक्री पारित नहीं की जाती है और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित नहीं की जाती है और/या बिक्री विलेख को इस तरह के डिक्री के अनुसार निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक उसे सूट संपत्ति का मालिक नहीं कहा जा सकता है। जब तक विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद का निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक वादी-प्रतिवादी यहाँ मालिक बना रहता है और प्रतिवादी नंबर 1-अपीलार्थी यहाँ किरायेदार बना रहता है। पैराग्राफ 1 में लिखित बयान में, प्रतिवादियों द्वारा विशेष रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी 'अब' वादी के किरायेदार नहीं हैं, बल्कि मुकदमे की संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं। जैसा कि देखा गया है। इसके अलावा, जब तक प्रतिवादी, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे का निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक उसे मालिक नहीं कहा जा सकता है और इसलिए इसमें वादी-प्रतिवादी मालिक बना हुआ है और प्रतिवादी संख्या 1 किरायेदार बना हुआ है। इसलिए, उपरोक्त को वादी के स्वामित्व के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से एक प्रवेश के रूप में उचित रूप से माना जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 है

एक किरायेदार। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर डिक्री को सही ढंग से पारित किया है जो तथ्यों में और

मामले की परिस्थितियों को गलत नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, उसी समय, जब प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किया गया मूल मुकदमा लंबित है, तो यह देखा जाना चाहिए कि

उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और एम. ओ. एच. डी. द्वारा पारित डिक्री।

आदेश हमेशा वादी के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर उक्त मुकदमे के परिणाम के अधीन होगा और यदि अंततः वह मुकदमे में सफल हो जाती है, और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री पारित की जाती है और विद्वत ट्रायल कोर्ट कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है (यदि अनुरोध किया जाता है), तो आवश्यक है।

परिणाम सामने आएंगे और वादी को, अपील दायर करने के अधीन, उस डिक्री का पालन करना होगा जो विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में पारित की जा सकती है। यह भी बिना कहे चला जाता है कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर मुकदमे में विद्वत परीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निषेधाज्ञा तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक कि बाद में प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निषेधाज्ञा का आदेश, यदि कोई हो,

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा संशोधित।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की पुष्टि पहले के पैराग्राफ नंबर 9 में की गई टिप्पणियों के अधीन की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

या

चिका खारिज कर दी गई।